आर.सी.एम.एस. नम्बर 2022/15

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारीः—साधुराम जाट
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती

पर्चा डिकी मुकदमा इब्तदाई

मुकदमा नम्बर :– 07/2022 (सुमित्रा बनाम भगवानी वगैरह)

निर्णय दिनांक :– 10.06.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, साधुराम जाट (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिकी दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 10.06.2022 द्वारा पारित निर्णयानुसार वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम हंसासर की सरहद में भूमि हाल ख0न0 80 रकबा 1.36 है0, ख0न0 216 रकबा 1.58 है0, ख0न0 228 रकबा 1.85 है0, ख0न0 342 रकबा 1.18 है0, ख0न0 488 रकबा 0.92 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 6.89 है0 में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम हजफ कर वादिया को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 10.06.2022 को जारी की गई।

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 07 / 2022

सुमित्रा उम्र 58 वर्ष पुत्री स्व. रिशाल पत्नी मनीराम जाति जाट निवासी पीपल का बास तहसील मलसीसर जिला झुझुनू

वादी

बनाम

1. भगवानी पत्नी दीपचन्द जाति जाट निवासी हंसासर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
2. सुभाष पुत्र दीपचन्द जाति जाट निवासी हंसासर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत धोषणा, रिकार्ड दुरूती

निर्णय

निर्णय दिनांक 10.06.2022

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम हंसासर में भूमि गत ख0न0 21 रकबा 5 बीधा 7 बिश्वा, ख0न0 101 रकबा 4 बीधा 17 बिश्वा, ख0न0 102 रकबा 1 बीधा 8 बिश्वा, ख0न0 107 रकबा 7 बीधा 6 बिश्वा, ख0न0 139 रकबा 4 बीधा 13 बिश्वा, ख0न0 200 रकबा 3 बीधा 13 बिश्वा कुल किता 6 कुल रकबा 27 बीधा 4 बिश्वा जिसके हाल ख0न0 80 रकबा 1.36 है0, ख0न0 216 रकबा 1.58 है0, ख0न0 228 रकबा 1.85 है0, ख0न0 342 रकबा 1.18 है0, ख0न0 488 रकबा 0.92 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 6.89 है0 भूमि अवस्थित है। जो वादीया के पिता रिशाल की भूमि थी। रिशाल वादिया का पिता है। प्रतिवादीया संख्या 1 भगवानी वादिया की माता है। रिशाल की मृत्यू दिनांक 05.01.1961 को हो चुकी है। भगवानी ने पुनः विवाह दीपचन्द से कर लिया। प्रतिवादीया संख्या 1 भगवानी वर्तमान में दीपचन्द की विवाहिता पत्नी है। दीपचन्द व भगवानी के दो पुत्र सन्तान सुभाष व धर्मवीर तथा तीन पुत्रियां इन्द्रा, सजना व चिरना है। रिशाल की मृत्यू के पश्चात उक्त भूमि का नामान्तरकरण वादिया व प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम तस्दीक होना चाहिये था। परन्तु गलती से सुभाष के नाम दर्ज कर दिया तथा गलत रूप से सुभाष को रिशाल का पुत्र इन्द्राज कर दिया जबकि सुभाष दीपचन्द का पुत्र है। प्रतिवादीया संख्या 1 ने उक्त भूमि में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहती है उनके द्वारा अपना हक हिस्सा अपनी पुत्री के पक्ष में छोड़ दिया है। इसलिये वादग्रस्त भूमि वादिया की है। सुभाष पुत्र रिशाल के नाम से बिना किसी आधार से बना गलत राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाकर वादिया उकत भूमि की खातेदार काश्तकार धोषित करवाने की अधिकारी है। अंत में वाद वादग्रस्त भूमि का वादिया को खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे तथा उक्त गलत बने राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाकर वादिया का नाम इन्द्राज किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने इकबाली जवाब पेश कर वाद पत्र की सिद्वी की धारा क, ख स्वीकार की जाकर वाद वादी डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहीर किया। दिनांक 10.06.2022 को प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत भू–अभिलेख निरीक्षक वृत हमीरी कलां में आयोजित फोलोअप कैम्प में वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 ने उपस्थित होकर वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रतिवादीगण की आरे से पेश इकबाली जवाब तथा कैम्प के दौरान उपस्थित

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

कारान व आमजन की सहमती के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम हंसासर की सरहद में भूमि हाल ख0न0 80 रकबा 1.36 है0, ख0न0 216 रकबा 1.58 है0, ख0न0 228 रकबा 1.85 है0, ख0न0 342 रकबा 1.18 है0, ख0न0 488 रकबा 0.92 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 6.89 है0 में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम हजफ कर वादिया को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2022 को भू–अभिलेख निरीक्षक वृत हमीरी कलां में आयोजित कैम्प में सुनाया गया।

10/6/22

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर